रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 1991/आषाढ़ 18, 1913
No. 396] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 1991/ASADHA 18, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

(एस. आर. डेस्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1991

का.आ. 454(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 82 की उपधारा (2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों के अधीन तत्कालीन संयुक्त पंजाब राज्य के निम्नलिखित कर्मचारियों को, उस समय के हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र (पश्चात्वर्ती राज्य) के पुलिस विभाग को, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट पदाभिधान के साथ उनके नामों के सामने स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा अंतिम रूप से आवंटित किया गया था, अर्थात्:—

सारणी

आवंटित अधिकारी का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित अंतिम आवंटन आदेश की विशिष्टियां	आवंटन आदेश में पारित किया गया पदाभिधान	1-11-66 को आवंटित कर्मचारी का सही पदाभिधान
1	2	3	4
श्री दयावन्त सिंह (सं. 30/जे)	22/28/68-एस आर (एस) (1) तारीख 31-5-68	निरीक्षक	उपनिरीक्षक

1	2	3	4
श्री आत्मा राम जोशी (सं. 264/ए एस आर)	22/28/68-एस आर (एस) (2) तारीख 31-5-68	उप-निरीक्षक	सहायक उप-निरीक्षक
श्री द्वारका दास कालिया (सं. 37/के एन एल)	22/28/68-एस आर (एस) (3), तारीख 31-5-68	उप-निरीक्षक	हैड कांस्टेबल,
श्री बहादुर सिंह (पी ए पी/209)	उपरोक्त	निरीक्षक	उप-निरीक्षक

2. हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह सूचना दी थी कि उपरोक्त अधिकारियों के पदाभिधान, जो उपरिवर्णित संबंधित आबंटन आदेश में स्तंभ 3 में दर्शित किए गए हैं, वास्तविक रूप से सही नहीं हैं और ये वे होने चाहिए थे जो उक्त सारणी के स्तंभ 4 में उपदर्शित हैं; और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मुसंगत सेवा अभिलेखों के निर्देश के पश्चात् इस स्थिति के ठीक पाये जाने पर, केन्द्रीय सरकार ने संबंधित अंतिम आबंटन आदेशों में उपरोक्त स्तंभ 3 में उल्लिखित पदाभिधानों के स्थान पर उपरोक्त स्तंभ 4 में उल्लिखित पदाभिधान रखने के लिए और सम्बद्ध अधिकारियों को, उनके उपयुक्त कॉडर में इससे उपाबद्ध संशोधन आदेश की प्रतियों द्वारा उनकी ज्येष्ठता की स्थिति को पुनः निश्चित करने के लिए शुद्धिपत्र सं. 22/28/68-एस आर (एस) (1) (2) (3) तारीख 2 मार्च, 1989 जारी किया था ;

3. और नीति विषयक मामले के रूप में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के उक्त उपबंधों के अधीन जारी कार्मिकों के सभी आबंटन पुनः आबंटन के आदेशों को जिनके अन्तर्गत उनके संशोधन शुद्धिपत्र हैं, तत्कालीन संयुक्त पंजाब राज्य की पुनर्गठन की तारीख अर्थात् 1 नवम्बर, 1966 से प्रभावी किया जा रहा है ;

4. और केन्द्रीय सरकार को यह अवगत करा दिया गया है कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले पूर्वोक्त परिवर्तनों से प्रभावित कर्मचारियों को, यदि उन पर उन परिवर्तनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो, अभ्यावेदन करने का अवसर देना और उनके द्वारा उठाए गए आक्षेपों पर विचार करना आवश्यक और वांछनीय है ;

5. अतः, अब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवम्बर, 1966 से हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र (पश्चात्वर्ती राज्य) के पुलिस विभाग में निरीक्षक, उप-निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक और हैड कांस्टेबल के काडर में अंतिम रूप से आबंटित, तत्काल संयुक्त पंजाब राज्य और तत्कालीन हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र (पश्चात्वर्ती राज्य) के सभी कर्मचारियों को यह सूचना दी जाती है कि यदि उनमें से कोई व्यक्ति, उपाबद्ध संशोधन आदेश में किए गए परिवर्तनों से व्यथित है तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर शिकायत के सार या प्रश्नगत परिवर्तनों पर आक्षेपों का स्पष्ट रूप में कथन करते हुए और उस के समर्थन में कारण तथा दस्तावेजी साक्ष्य देते हुए, उनके बारे में अभ्यावेदन कर सकेगा और ऐसे अभ्यावेदन की एक-एक प्रति, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, उपरोक्त अवधि के भीतर निम्नलिखित को भेजेगा :—

(i) *आयुक्त-सह-सचिव (एकीकरण), प्रदेश सरकार, साधारण प्रशासन विभाग, खंड ख, शिमला, और*

(ii) डेस्क आफिसर, एस आर प्रकोष्ठ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, निर्वाचन सदन, छठी मंजिल, अशोक मार्ग, नई दिल्ली-110001

6. ऐसे अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जो इस संबंध में,—अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उपरिवर्णित प्राधिकारियों के कार्यालयों में दिया जाता है या प्राप्त होता है ।

[स. 22/28/68-एस आर (एस) जिल्द IV]

यू. एस. पन्त,
उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

(SR Desk)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1991

S.O. 454(E):—Whereas the following employees of the erstwhile composite State of Punjab were allotted finally to the then Union Territory (later State) of Himachal Pradesh, Police Department, under orders passed by the Central Government under sub-section (2) of section 82 of the Punjab Re-organisation Act, 1966, (31 of 1966), vide orders mentioned against their names in column 2 and with designations as mentioned in colmun 3 in the Table below, namely:-

THE TABLE

Name of the allotted officer	Particulars of the final allocation orders passed by the Central Government.	Designation as shown in the allocation order.	Correct designation of the allotted employee as on 1-11-66
1	2	3	4
Shri Dayawant Singh (No. 30/I)	22/28/68-SR(S)(1), dated 31-5-68	Inspector	Sub-Inspector
Shri Atma Ram Joshi (No. 264/ASR)	22/28/68-SR(S) (2), dated 31-5-68	Sub-Inspector	Assistant Sub-Inspector
Shri Dwarka Dass Kalia (No. 37/NKL)	22/28/68-SR(S)(3), dated 31-5-68	Sub-Inspector	Head-Constable
Shri Bahadur Singh (No. PAP/209)	-do-	Inspector	Sub-Inspector

2. And whereas it was reported by the Government of Himachal Pradesh that the designations of the aforesaid officers as shown in column 3 in the respective allocation orders mentioned above, were factually not correct and should have been as indicated above in column 4 of the said Table; and whereas this position was found to be correct after reference to the relevant service records made available by the State Government, the Central Government issued corrigenda bearing No. 22/28/68-SR(S)(1)/(2)(3), dated the 2nd March, 1989, substituting the designations mentioned above in column 4 for those mentioned in column 3 ibid, in the respective final allocation orders and refixing the position in seniority of the concerned officers in their appropriate cadres, vide copies of the amending orders annexed hereto;

3. And whereas, as a matter of policy all the orders of allocation/re-allocation of pesonnels, including amendments/corrigenda thereto, issued under the said provisions of the Punjab Re-organisation Act, 1966, are given effect to from the date of reorganisation of the erstwhile composite State of Punjab, viz. 1st Nov. 1966;

4. And whereas it has been pointed out to the Central Government that it was necessary and desirable to give opportunity to the affected employees to make representations against the aforesaid changes in case they are adversely affected by them and to consider the objections thus raised by them, before passing the final orders;

5. Now, therefore, in exercise of the powers contained in sub-section(1) and (2) of section 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 notice is hereby given to all the employees of the erstwhile composite State of Punjab and the erstwhile Union Territory (now State) of Himachal Pradesh, allotted finally to the cadres of Inspectors; Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors and Head Constables of the Police Department in the then Union Territory (and later State) of Himachal Pradesh with effect from 1st November, 1966 that in case any of them is aggrieved by the changes made in the annexed amending orders, he may make a representation against it within a period of three months from the date of the publication of this notification, stating in clear terms the substance of the grievance or objections to the changes in question, giving reasons and documentary evidence, if any, in support thereof and deliver one copy each of such representation in person or send the same by registered post, within the aforesaid period, to (i) The Commissioner-cum-Secretary (Integration), Government of Himachal Pradesh, General Administration Department Section B, Shimla and (ii) The Desk Officer, SR Cell, Department of Personnel & Training, Government, of India, Nirvachan Sadan, 6th Floor, Ashoka Road, New Delhi-110001.

6. No representation on the subject delivered to or received in the offices of the authorities mentioned above after the expiry of three months from the date of issue of this notification shall be taken into consideration.

[No. 22/28/68—SR(S) Vol. IV]

U.S. PANT, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991